

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 611]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर 2020 — अग्रहायण 7, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-36/2015/18.— पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) अधिनियम 2014 (2014 का 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) नियम, 2015 में निम्नालिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम 5 में उप नियम (2) में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(ड) स्थानीय नगरीय निकाय का नगरपालिका अधिकारी, चिन्हांकित विक्रेताओं में से दस विक्रेताओं, जिसमें से आधी महिलायें होंगी, को नामांकन/निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्य के रूप में निर्वाचित करेगा :

परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा :

परंतु यह और कि विक्रेताओं का चयन इस प्रकार से किया जायेगा कि शहर में विभिन्न व्यवसायों और विक्रय जोन को प्रतिनिधित्व प्राप्त हों ।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 5-36/2015/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-36/2015/18 दिनांक 27-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 27th November 2020

NOTIFICATION

No. F 5-36/2015/18.— In exercise of the power conferred by Section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (No. 7 of 2014), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For clause (e) of sub-rule (2) of rule 5, the following shall be substituted, namely:-

- "(e) Municipal Officer of the Urban Local Bodies shall elect ten Vendors, half of whom shall be women as members through Nomination/an election process from identified vendors:

Provided that due representation shall be given to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and persons with disabilities:

Provided further that the vendors shall be so selected as to represent various trades and vendor zones in the town."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.